जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-21.02.2025**

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा गौकशी व पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के मामले में 01 हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, कब्जे से एक गौवंश बछड़ा, गौकशी करने के उपकरण, अवैध हथियार व खोखा कारतूस बरामद।

पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी एवं कटान की रोकथाम हेतु अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस को गौकशो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे।

इसी क्रम में दिनांक 20.02.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी एवं कटान की रोकथाम हेतु अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चैकिंग की जा रही थी चैकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गौतस्करो द्वारा गौकशी की घटना कारित की जाने वाली है इस सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करते हुये थाना थानाभवन पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर गौतस्करो को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो गौतस्कर द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया जिसके पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा दबिश देकर ग्राम मसावी मार्ग ईंख के खेत से 01 हिस्ट्रीशीटर अपराधी को एक गौवंश बछड़ा, गौकशी करने के उपकरण व अवैध हथियार व खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य 02 अभियुक्तगण की तलाश हेतु टीमें लगाई गयी है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.गुलफाम पुत्र नसीर निवासी ग्राम मसावी थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

1.एक गौवंश बछड़ा।

2.गौकशी करने के उपकरण (एक कुल्हाडी,एक दाव,दो छुरे,एक लकडी का गुटका,एक रस्सी)।

3.एक अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गुलफाम उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0-59/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 42/2018 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 136/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 188/2018 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 296/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

कार्यालय
थाना-थानाभवन
जनपद-शामली (उ.प्र.)
"थाना कार्यालय"

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी मोटर साईकिल बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 19.02.2025 को वादी नदीम पुत्र नसीर निवासी ग्राम बुन्टा थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली की मोटर साईकिल रजि0नं0 UP19-8865 को अज्ञात चोर द्वारा चाँद मार्किट कस्बा थानाभवन से चोरी कर ली गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 21.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर को चोरी की गयी मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मनव्वर पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम मसावी थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की गयी मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर रजि0नं0 UP19-8865।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में खनन अधिनियम के 01 मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

1.- वर्ष 1998 में अभियुक्त जबरा उर्फ झबरा पुत्र फरजू निवासी ग्राम दभेड़ी थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 142/1998 धारा 379/411 भादवि व 2/3 खनन अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 21.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>